

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकार संख्या :- 11/2018

1. बन्तसिंह } पि0 बचनसिंह जाति रायसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी।
2. बिल्लूसिंह } -वादीगण

बनाम्

1. बचनसिंह पुत्र दुलासिंह जाति रायसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी।
2. बिशनाबाई पत्नी हरनेकसिंह पुत्री बचनसिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी.बड़ी तहसील हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखविन्द्र कौर पत्नी गुरदीपसिंह पुत्री बचनसिंह जाति रायसिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णा बाई पत्नी कालासिंह पुत्री बचनसिंह जाति रायसिख निवासी चक छड़िया रोड़ावाली तहसील व जिला फाजिल्का।
5. बचनोबाई पत्नी बचनसिंह जाति रायसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 1 टीएलडब्ल्यू बी के खाता सं0 103/89 में कुल 3.302 है0 में अंकित प्रतिवादी के 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.100 है0 में से 0.594 है0 आराजी के वादीगण दोनो ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 1 टीएलडब्ल्यू बी के खाता सं0 103/89 में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम कर 0.506 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 की यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 28.8.18 अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.8.18 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर टिब्बी